



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग को चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11,000/ रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0-73/2020 धारा- 354क,323 भा0द0स0, 08 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजेश यादव उर्फ छोटे पुत्र झुरिया यादव निवासी गढ़ा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को धारा- 323 भा0द0स0, 08 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹11,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी अवधनरेश
चन्देल



विवेचक-
उ0नि0 मधुरेश
कुमार त्रिपाठी



पैरोकार- थाना सिसोलर
हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा